स्ववित्त पोषित महाविद्यालय/स्ववित्त पोषित व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों के लिए सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तारण का प्रारूप

1. संस्थान का नाम – .....
2. शैक्षणिक सत्र – .....
3. पाठ्यक्रमों का नाम – .....
4. प्रकरण – .....
5. पूर्व में निर्गत अस्थायी सम्बद्धता आदेश संख्या – .....
6. पूर्व सम्बद्धता आदेश की शर्त तथा उनके अनुपालन की स्थिति –.....
7. मानक – .....

क्र. सं.	विषय	निर्धारित मानक	निर्धारित मानक के सापेक्ष उपलब्धता का विवरण
1	भूमि	अ. भूमि किसके नाम पर है– ब. भूमि की रजिस्ट्री है/लीज डीड है/पट्टे पर है– 1. पर्वतीय क्षेत्र हेतु – 5000 वर्ग मीटर 2. नगर निगम क्षेत्र – 5000 वर्ग मीटर 3. नगर पालिका क्षेत्र – 7000 वर्ग मीटर 4. अन्य क्षेत्र – 10000 वर्ग मीटर **नोट**– जनपद रूद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी तथा देहरादून जनपद के चकराता, कालसी ब्लाक को पर्वतीय/ ग्रामीण/अति दुर्गम क्षेत्र की श्रेणी में मानते हुए भूमि के मानक पर्वतीय क्षेत्र के लागू होंगे। केवल अपने क्षेत्र की भूमि का उल्लेख करें।	
2	भवन	अ– क्या भवन ट्रस्ट/सोसाइटी के नाम क्रय भूमि पर निर्मित है? ब– क्या किराये के भवन पर संचालित किया जा रहा है? स– ट्रस्ट/सोसाइटी की भूमि पर स्वयं भवन कब तक बन जायेगा। द– सोसाइटी कब तक पंजीकृत है (प्रतिलिपि संलग्न करें) य–ट्रस्ट/सोसाइटी के अध्यक्ष/सचिव के नाम/टेलिफोन/ मो0नं0– 1. स्वागत कक्ष–01 20 वर्ग मीटर (सोफासेट, सेन्टर टेबल) 2. प्राचार्य/निदेशक कक्ष– 01 20 वर्ग मीटर (विजिटर चीयर, 1 मेज, 1 आलमारी) 3. प्रशासनिक कार्यालय– 01 50 वर्ग मीटर 4. विभागाध्यक्ष कक्ष–प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अलग–अलग 5. अध्यापक कक्ष– प्रत्येक शिक्षक के लिए अलग–अलग केबिन एवं दो शौचालय (एक पुरूष एक महिला) 6. पुस्तकालय, वाचनालय सहित–01 160 वर्ग मीटर 7. परीक्षा सामग्री कक्ष/स्ट्रांग रूम –01 80 वर्ग मीटर 8. स्टोर–01, 25 वर्ग मीटर 9. छात्रा कक्ष– 01 80 वर्ग मीटर 10. बरामदा –01 100 वर्ग मीटर 11. प्रयोगशालायें – 80 वर्ग मीटर 12. टेलिफोन नं0/फैक्स नं0– 13. शौचालय न्यूनतम 04 (20 छात्र/छात्राओं पर एक–एक) 14. सेमिनार हाल–01 कम से कम 120 वर्ग मीटर 15. व्याख्यान कक्ष 85 से 90 वर्ग मीटर स्नातक पाठ्यक्रम अ– प्रथम वर्ष में प्रत्येक विषय के लिए एक–एक व्याख्यान कक्ष, द्वितीय वर्ष में प्रत्येक विषय के लिए दो–दो व्याख्यान कक्ष, तृतीय वर्ष में प्रत्येक विषय के लिए तीन–तीन व्याख्यान कक्ष स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	

<table>
<tr><td></td><td></td><td>ब– प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए दो–दो कक्ष</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>फैकल्टी</td><td>1. यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित योग्यतानुसार एवं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड की अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (4) के खण्ड (ड़) द्वितीय संशोधन अधिनियम–2005 के प्राविधान के अनुसार की जायेगी।
2. ---------- पाठ्यक्रमों में नेट/पी0एच0डी0 योग्यताधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में संबंधित पाठ्यक्रम के स्नातक में 50 प्रतिशत एवं स्नातकोत्तर में 55 प्रतिशत प्राप्तांक अभ्यर्थी अर्ह माना जाय

3. पदों का विज्ञापन ऐसे दो समाचार पत्रों में तीन बार किया जायेगा, जो दैनिक हो तथा व्यापक प्रचलन में हों।
4. विषयवार प्राप्त शैक्षिक पदों के आवेदन की समरी में संबंधित संस्थान/कालेज को समस्त आवेदकों का स्नातक/स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता के प्राप्तांक एवं प्राप्तांक प्रतिशत अंकित कर विज्ञापनों की छायाप्रति सहित सूची विश्वविद्यालय को भेजनी होगी समरी के अन्त में संबंधित संस्थान/कॉलेज के मैनेजमेंट द्वारा यह प्रमाण पत्र भी दिया जायेगा कि संबंधित पद के लिए कुल ..... आवेदन पत्र प्राप्त हुए और इसके अतिरिक्त अन्य कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।
5. संबंधित विषयों की चयन समिति हेतु पैनल नामित करने का अनुरोध पत्र पदों के विज्ञापनों की छायाप्रति तथा आवेदन पत्रों कर समरी सहित विश्वविद्यालय को प्रेषित करना होगा।
6. शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन करना आवश्यक है।
7. शिक्षकों की संख्या निम्नवत निर्धारित की जायेगी किन्तु प्रथम वर्ष में न्यूनतम 03 शिक्षक होने आवश्यक है
1. स्नातक के प्रत्येक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए–
प्रथम वर्ष– प्रश्नपत्र +प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम ×6÷24 (अर्थात यदि किसी पाठ्यक्रम में 12 थ्योरी प्रश्न पत्र तथा 3 प्रयोगात्मक प्रश्न पत्र है तो कुल थ्योरी तथा प्रयोगात्मक प्रश्न पत्रों की संख्या 15 होगी × 6 (सप्ताह के दिन) सत्र 90 अर्थात कुल शिक्षक 4 होने आवश्यक है)
द्वितीय वर्ष– प्रश्न पत्र+ प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम ×6÷24
तृतीय वर्ष– प्रश्न पत्र + प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम ×6÷24
2. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रर्मों के प्रथम वर्ष के प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए एक–एक शिक्षक होना आवश्यक है।</td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>पुस्तकालय</td><td>प्रत्येक स्वीकृत पाठ्यक्रम में स्वीकृत छात्र संख्या के अनुसार निम्नांकित विवरणानुसार पुस्तकालय में पुस्तकें होनी आवश्यक है। (प्रत्येक प्रश्न पत्र की एक–एक पुस्तकें सभी छात्रों को उपलब्ध करायी जानी आवश्यक है।)
छात्र +शिक्षक × पेपर × 2_____ पुस्तकें होनी आवश्यक है।</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>फर्नीचर</td><td>निम्नवत फर्नीचर होना आवश्यक है–
1. ऑफिस टेबल/चीयर–
निदेशक/प्राचार्य/प्रत्येक विभाग के विभागाध्यक्ष/प्रत्येक शिक्षक /कार्यालय के लिए एक–एक
2. आलमारी– निदेशक/प्राचार्य/प्रत्येक विभाग के विभागाध्यक्ष तथा प्राध्यापकों के लिए एक–एक तथा कार्यालय के लिए तीन
3. कुर्सी/टेबल– स्वीकृत छात्र संख्या के अनुसार
4. रैक्स – पुस्तकालय की आवश्यकतानुसार
5. स्टूल – रासायनिक प्रयोगशाला की आवश्यकतानुसार प्रति छात्र एक–एक</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>प्राभूत</td><td>
<table>
<tr><th>क0सं0</th><th>संकाय/ विषय</th><th>निर्धारित प्राभूत की धनराषि</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>स्नातक स्तर पर कला संकाय के सात विशय/बी0कॉम0</td><td>रू0 2.00 लाख</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त विशय हेतु</td><td>रू0 50,000/–</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त प्रयोगात्मक</td><td>रू0 50,000/–</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
</table>

				कार्य से युक्त **विषय** हेतु	
			4.	विज्ञान संकाय के स्नातक स्तर के पांच परमपरागत **विषयों** हेतु	रू0 3.00 लाख
			5.	विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर पर बी0एस0सी0 (कम्प्यूटर सांइस), बी0एस0सी0(इनफारमेसन टेक्नोलॉजी), बी0एस0सी0(कृशि), बी0एस0सी0(वानिकी), बी0एस0सी0(ऊद्यानिकी) के प्रत्येक अतिरिक्त **विषय**, आदि समान नवीन पाठ्यक्रमों में प्रत्येक उपाधि पाठ्यक्रम के लिए प्राभूत	रू0 3.00 लाख क्रम 4 के अतिरिक्त
			6.	विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त **विषय** हेतु	रू0 55,000/–
			7.	स्नातकोत्तर स्तर के कला एवं शिक्षा के प्रत्येक **विषय** हेतु	रू0 75,000/–
			8.	स्नातकोत्तर स्तर पर एम0काम0 अथवा प्रत्येक प्रयोगात्मक **विषयों** हेतु	रू0 2.00 लाख
			9.	बी0बी0ए0/बी0सी0ए0 पाठयक्रम हेतु	रू0 3.00 लाख
			10.	एम0सी0ए0 पाठयक्रमों हेतु	रू0 5.00 लाख
			11.	एम0बी0ए0 पाठयक्रम हेतु	रू0 3.00 लाख
7	प्रयोगशालायें	1. प्रत्येक प्रायोगिक विषय हेतु 01–01 प्रयोगशाला (प्रयोगात्मक हेतु आवश्यक रसायनों एवं उपकरणों का उल्लेख करना आवश्यक है) 2. 60 छात्रों की कम्प्यूटर प्रयोगशाला के लिए 2 छात्रों पर एक कम्प्यूटर तथा कुल 3 प्रिन्टर होने आवश्यक है सभी कम्प्यूटर यू0पी0एस0 के साथ कम्प्यूटर लैब में सुसज्जित लगे हो तथा सभी कम्प्यूटर आन लाइन इन्टरनेट से जुड़े हों। 3. कम्प्यूटर टेबल – 30 4. कम्प्यूटर चीयर – 60			
8	क्या संबंधित पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ स्टडीज, बोर्ड ऑफ फैकल्टी, विद्या परिषद् एवं कार्य परिषद् से स्वीकृत है।	पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की बोर्ड ऑफ स्टडीज, बोर्ड ऑफ फैकल्टी, विद्या परिषद् एवं कार्य परिषद् से स्वीकृत होना आवश्यक है।			
9	पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिए उपलब्ध कार्यशील पूंजी का विवरण	शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित वेतनमानों के अनुसार 01 वर्ष के वेतन के बराबर संस्थान के पास कार्यशील पूंजी के रूप में होनी आवश्यक है। (प्रमाण के लिए बैंक का प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है।)			

2– शपथ पत्र सम्बन्धी प्रमाण पत्र

निरीक्षण आख्या तैयार करने के उपरान्त उस पर हस्ताक्षर करने से पूर्व निरीक्षण मण्डल द्वारा निम्न आशय का प्रमाण पत्र भी आख्या में दिया जाना होगा :–

'' निरीक्षण मण्डल के समस्त सदस्य संयुक्तरूप से शपथपूर्वक घोषणा करते हैं कि निरीक्षण आख्या में जो भी विवरण/प्रविष्टियां अंकित की गयी हैं, वे सभी तथ्यों पर आधारित हैं, उनका निरीक्षण मण्डल द्वारा भलीभांति निरीक्षण/अवलोकन कर लिया गया है। किसी भी प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में हुई शंका का समाधान कर लिया गया है। निरीक्षण आख्या में किसी भी तथ्य को न तो छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य लिखा गया है। यदि निरीक्षण आख्या में उल्लिखित कोई भी तथ्य गलत, असत्य या

प्रबन्ध समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों के विपरीत होना पाया जाता है, तो हमारे विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

संयोजक
सदस्य

सचिव/हस्ताक्षर
सम्बन्धित संस्थान हस्ताक्षर

संस्थान द्वारा पूरित सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव को सचिव/निदेशक संस्थान द्वारा दिये गये उक्त प्रमाण पत्र संलग्न संबंधित संस्थान शपथपत्र के आधार पर अग्रसारित किया जा रहा है

हस्ताक्षर एवं मुहर

कुलसचिव

शपथ पत्र सम्बन्धी प्रमाण पत्र

निरीक्षण आख्या तैयार करने के उपरान्त उस पर हस्ताक्षर करने से पूर्व निरीक्षण मण्डल द्वारा निम्न आशय का प्रमाण पत्र भी आख्या में दिया जाना होगा :–

'' निरीक्षण मण्डल के समस्त सदस्य संयुक्तरूप से शपथपूर्वक घोषणा करते हैं कि निरीक्षण आख्या में जो भी विवरण/प्रविष्टियां अंकित की गयी हैं, वे सभी तथ्यों पर आधारित हैं, उनका निरीक्षण मण्डल द्वारा भलीभांति निरीक्षण/अवलोकन कर लिया गया है। किसी भी प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में हुई शंका का समाधान कर लिया गया है। निरीक्षण आख्या में किसी भी तथ्य को न तो छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य लिखा गया है। यदि निरीक्षण आख्या में उल्लिखित कोई भी तथ्य गलत, असत्य या प्रबन्ध समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों के विपरीत होना पाया जाता है, तो हमारे विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।''

संयोजक

सदस्य